

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

आदेश

नया रायपुर, दिनांक 12/09/2016

क्रमांक एफ 4-14/2016/18 (9) :: राज्य शासन एतद्वारा नगर पालिक निगम रायपुर के लिये विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4-15/18/2011 दिनांक 07.03.2011 द्वारा स्वीकृत नियमित पद संरचना को समाप्त करते हुये छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 58 के अधीन निम्नानुसार नवीन पद संरचना स्वीकृत करता है :-

क्र.	सेटअप में स्वीकृत पदनाम	वेतनमान	नियमित पद	सांख्येतर पद	योग
1	2	3	4	5	6
1	आयुक्त	शासन द्वारा निर्धारित	1	—	1
2	मुख्य अभियंता	37400-67000 +8700 ग्रेड पे	1	—	1
3	अपर आयुक्त	15600-39100 +7600 ग्रेड पे	2	—	2
4	अधीक्षण अभियंता	15600-39100 +7600 ग्रेड पे	4	—	4
5	उपायुक्त	15600-39100 +6600 ग्रेड पे	3	—	3
6	कार्यपालन अभियंता	15600-39100 +6600 ग्रेड पे	20	—	20
7	स्वास्थ्य अधिकारी	15600-39100 +6600 ग्रेड पे	1	—	1
8	नगर निवेश अधिकारी	15600-39100 +6600 ग्रेड पे	1	—	1
9	निगम सचिव	15600-39100 +5400 ग्रेड पे	1	—	1
10	लेखा अधिकारी	15600-39100 +5400 ग्रेड पे	1	—	1
11	विधि अधिकारी	15600-39100 +5400 ग्रेड पे	1	—	1
12	जनसंपर्क अधिकारी	15600-39100 +5400 ग्रेड पे	1	—	1
13	राजस्व अधिकारी	15600-39100 +5400 ग्रेड पे	3	—	3
14	सहायक स्वास्थ्य अधिकारी	15600-39100 +5400 ग्रेड पे	9	—	9
15	आयुर्वेद चिकि. अधिकारी	15600-39100 +5400 ग्रेड पे	—	4	4
16	सहायक अभियंता	15600-39100 +5400 ग्रेड पे	40	—	40
17	प्राचार्य/ प्राचार्या	15600-39100 +5400 ग्रेड पे	13	—	13
18	जोन आयुक्त	15600-39100 +5400 ग्रेड पे	8	—	8
19	सहा. नगर निवेश	15600-39100 +5400 ग्रेड पे	8	—	8
20	शीघ्रलेखक ग्रेड-01	9300-34800 +4400 ग्रेड पे	1	—	1
21	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	15600-39100 +5400 ग्रेड पे	1	—	1
22	अधीक्षक (लिपिकीय)	9300-34800 +4300 ग्रेड पे	4	—	4
23	शीघ्रलेखक ग्रेड- 02	9300-34800 +4300 ग्रेड पे	4	—	4

P

24	व्याख्याता	9300-34800 +4300 ग्रेड पे	39	-	39
25	सहा. लेखा अधिकारी	9300-34800 +4300 ग्रेड पे	10	-	10
26	सहा. जनसंपर्क अधिकारी	9300-34800 +4200 ग्रेड पे	-	2	2
27	सहा. राजस्व अधिकारी	9300-34800 +4200 ग्रेड पे	8	-	8
28	वरिष्ठ स्व. निरीक्षक	9300-34800 +4200 ग्रेड पे	8	-	8
29	उप अभियंता	9300-34800 +4200 ग्रेड पे	100	-	100
30	रसायनज्ञ	9300-34800 +4200 ग्रेड पे	2	-	2
31	उच्च श्रेणी शिक्षक	9300-34800 +4200 ग्रेड पे	117	-	117
32	व्यायाम शिक्षक	9300-34800 +4200 ग्रेड पे	7	-	7
33	शीघ्रलेखक ग्रेड- 03	5200-20200 +2800 ग्रेड पे	2	-	2
34	सहायक ग्रेड- 01	5200-20200 +2800 ग्रेड पे	13	-	13
35	राजस्व निरीक्षक	5200-20200 +2800 ग्रेड पे	18	-	18
36	स्वच्छता निरीक्षक	5200-20200 +2800 ग्रेड पे	37	-	37
37	सर्वेयर	5200-20200 +2800 ग्रेड पे	-	1	1
38	लेखापाल	5200-20200 +2400 ग्रेड पे	14	-	14
39	सहायक ग्रेड-02	5200-20200 +2400 ग्रेड पे	32	-	32
40	लायब्रेरियन	5200-20200 +2400 ग्रेड पे	1	-	1
41	मोटर मैकेनिक	5200-20200 +2400 ग्रेड पे	-	1	1
42	सहा. मोटर मैकेनिक	5200-20200 +2400 ग्रेड पे	-	1	1
43	स्टॉफ नर्स	5200-20200 +2400 ग्रेड पे	-	1	1
44	सहा. शिक्षक (विज्ञान)	5200-20200 +2400 ग्रेड पे	7	-	7
45	प्रशिक्षक (ब्या.प्र.के)	5200-20200 +2400 ग्रेड पे	-	2	2
46	रिकार्ड कीपर	5200-20200 +2400 ग्रेड पे	11	-	11
47	राजस्व उप निरीक्षक	5200-20200 +2200 ग्रेड पे	36	-	36
48	मैकेनिक (फि.प्लांट)	5200-20200 +2200 ग्रेड पे	-	1	1
49	फायरमेन अग्निशमन	5200-20200 +2200 ग्रेड पे	-	3	3
50	सहायक ग्रेड- 03	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	80	-	80
51	सहा. टेलीफोन ऑपरेटर	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	-	1	1
52	सहा. राजस्व निरीक्षक	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	150	-	150
53	विद्युत्कार	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	3	4	7
54	वैल्डर	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	-	1	1
55	पंप मेन	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	-	10	10
56	फिल्टरमेन	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	-	2	2
57	स्वच्छता पर्यवेक्षक	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	32	-	32
58	बढ़ई	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	-	1	1
59	वाहन चालक	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	15	9	24
60	औषधि संयोजक	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	-	5	5
61	वैक्सिनेटर	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	-	3	3


62	कार्य सहायक/समयपाल	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	48	—	48
63	ट्रेसर	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	—	1	1
64	प्रयोगशाला सहायक	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	2	—	2
65	फायरमेन अग्निशमन ग्रेड-02	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	—	39	39
66	परिचालक	5200-20200 +1900 ग्रेड पे	—	14	14
67	प्रयोगशाला परिचायक	5200-20200 +1800 ग्रेड पे	—	1	1
68	कार्य सहायक (व्या.प्र.के.)	5200-20200 +1800 ग्रेड पे	—	1	1
69	मशीन हेल्पर	4750-7440 +1300 ग्रेड पे	—	1	1
70	लाईनमेन	4750-7440 +1300 ग्रेड पे	—	119	119
71	आया	4750-7440 +1300 ग्रेड पे	—	1	1
72	दफतरी	4750-7440 +1400 ग्रेड पे	5	—	5
73	हेल्पर	4750-7440 +1300 ग्रेड पे	—	23	23
74	नम्बर टेकर	4750-7440 +1300 ग्रेड पे	—	1	1
75	लाईटर	4750-7440 +1300 ग्रेड पे	—	6	6
76	माली	4750-7440 +1300 ग्रेड पे	9	—	9
77	खलासी	4750-7440 +1300 ग्रेड पे	—	1	1
78	भृत्य (चौकीदार के पद सहित)	4750-7440 +1300 ग्रेड पे	50	200	250
79	सफाई कामगार	4750-7440 +1300 ग्रेड पे	—	800	800
योग			984	1260	2244


शर्तें :-

1. स्थापना व्यय की अधिकतम सीमा 65 प्रतिशत तक ही नगर पालिक निगम में पदों की पूर्ति की जावें।
2. यदि किसी पद की पूर्ति में स्थापना व्यय 65 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना हो तो नगरीय निकाय अपनी वास्तविक आय और व्यय की जानकारी के साथ राज्य शासन की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही उक्त पद की पूर्ति करेंगे।
3. पदों की पूर्ति के मामले में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
4. पूर्व में जो पद कलेक्टर दर पर स्वीकृत किये गये थे, उन्हें एतद्वारा निरस्त किया जाता है।
5. पूर्व में स्वीकृत नियमित पदों पर यदि वर्तमान में कर्मचारी कार्यरत है, तो उन पदों को समाप्त नहीं माना जावें।

P



6. शासन द्वारा आपके निकाय हेतु सांख्येतर पद अथवा नियमित पद पूर्व में स्वीकृत किये गये हैं, उन पदों को यदि सेटअप में शामिल नहीं किया गया हो, तो तत्काल अवगत करावें।
7. सरल क्रमांक 6 पर कार्यपालन अभियंता के 20 पद स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें 16 पद सिविल, 02 पद मैकेनिकल एवं 02 पद इलेक्ट्रिकल के हैं।
8. सरल क्रमांक 16 पर सहायक अभियंता के 40 पद स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें 36 पद सिविल, 02 पद मैकेनिकल एवं 02 पद इलेक्ट्रिकल के हैं।
9. सरल क्रमांक 23 पर शीघ्रलेखक ग्रेड-2 के 4 पद, निज सहायक के 02 पदों को शामिल करते हुये स्वीकृत किये गये हैं।


 (जितेंद्र शुक्ला)
 संयुक्त सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन

 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया रायपुर, दिनांक 12/09/2016

पृ. क्रमांक एफ 4-14/2016/18 (9)
 प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मंत्रालय नया रायपुर
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर को उनके जावक क्रमांक 3378 दिनांक 10.08.2016 के संदर्भ में,
3. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर
4. महापौर/आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर, जिला-रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. आर्डर बुक हेतु।


 संयुक्त सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

छत्तीसगढ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

--: आदेश :-

नया रायपुर , दिनांक 28/03/2018

क्रमांक : 2588/2319/2018/18 एतद् द्वारा राज्य शासन, सामान्य बुनियादी सुविधाओं के संचालन/ संधारण, निर्मित परिसंपतियों के रख-रखाव, निर्माण कार्यो के पर्यवेक्षण, कार्यालयीन एवं नगर पालिक कृत्यों के संपादन हेतु, नियमित अमले की उपलब्धता को संज्ञान में लेते हुए, वितीय अनुशासन तथा मितव्यतता के दृष्टिकोण से, नगर पालिक निगम रायपुर जिला रायपुर में प्लेसमेंट पर कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की अधिकतम संख्या निम्नानुसार निर्धारित करता है :-

क्र.	शाखा का नाम	पदश्रेणी	प्लेसमेंट कर्मचारियों की कुल संख्या
1	लोक निर्माण एवं भवन अनुज्ञा	सुरक्षा गार्ड	150
		श्रमिक	84
		वाहन चालक	16
2	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	सफाई कामगार	2380
		वाहन चालक	91
3	जल कार्य	हेल्पर	57
		वाहन चालक	23
		सुरक्षा गार्ड	5
		पंपमेन/ लाईनमेन	118
4	विद्युत/ यांत्रिकी	विद्युतकार	40
		हेल्पर	49
		सुरक्षा गार्ड	2
5	सामान्य प्रशासन	कम्प्यूटर ऑपरेटर	66
		सुरक्षा गार्ड	5
6	उद्यानिकी	श्रमिक/ माली	85
7	राजस्व/ बाजार	श्रमिक	15
8	मोटर कर्मशाला	वाहन चालक	36
		सुरक्षा गार्ड	3
कुल			3225

शर्त :-

- उपरोक्त अधिकतम संख्या का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु अनुबंधित एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ करने की स्थिति में, पुनरीक्षण किया जावेगा एवं अधिकतम आवश्यक संख्या पुनर्निर्धारित की जावेगी।

- 2 उपरोक्त तालिका अनुसार कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल कर्मचारी मात्र प्लेसमेंट पर, विहित प्रक्रियानुसार प्रतिस्पर्धा से चयनित प्लेसमेंट एजेंसी से ही कार्य पर रखे जावेगे। इसके एवज में, नियमित/संविदा या अन्य विधि से कोई नियुक्ति नहीं की जावेगी।
- 3 राज्य शासन द्वारा निकाय की जनसंख्या, सीमा, कर्तव्यों, परिसंपत्तियों की संख्या एवं अन्य आनुषांगिक सुसंगत कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, समय-समय पर समीक्षा कर प्लेसमेंट पर कुशल, अर्द्धकुशल अकुशल कर्मचारी नियुक्त करने की अधिकतम सीमा में यथा कमी/वृद्धि की जा सकेगी।
- 4 प्लेसमेंट के कर्मचारियों की प्रातः कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं सायं कार्य समाप्ति के उपरांत, अर्थात् दो बार बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाना अनिवार्य होगा।
- 5 बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही, प्लेसमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक, उनके बैंक खाते में मात्र आर.टी.जी.एस. द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा। ईपीएफ, ईएससीआई आदि की भी गणना कर, प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा आरटीजीएस द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा एवं बैंक द्वारा आरटीजीएस की गई राशि की मूल रसीद प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से निकाय को प्रस्तुत की जावेगी। निकाय द्वारा संविदा शर्तों के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान/प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।
- 6 प्लेसमेंट कर्मचारियों को, जिला कलेक्टर द्वारा जारी दर अनुसूची के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7 प्लेसमेंट पर कर्मचारी रखे जाने हेतु श्रम विभाग के समस्त नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8 निकाय की राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नियमित पद संरचना में, भविष्य में रिक्त पद पर पूर्ति होने के समय, प्लेसमेंट के समान/समकक्ष कर्मचारियों की संख्या में स्वमेव, समानुपातिक कटौती हो जावेगी। उदाहरण स्वरूप यदि निकाय में सहायक ग्रेड-3 के एक रिक्त पद पर भर्ती की जाती है तो प्लेसमेंट में लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर की निर्धारित संख्या में स्वमेव 01 कर्मचारी की कमी हो जावेगी।
- 9 यदि निकाय में, न्यायालय अथवा राज्य शासन के पूर्व आदेशों के कारण दैनिक वृत्ति पर कर्मचारी कार्यरत है, जो कि प्लेसमेंट के अंतर्गत कार्यरत नहीं है, उनके प्रकरणों की स्थिति (Status) इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी, किन्तु मात्र उनकी संख्या की गणना प्लेसमेंट की अधिकतम संख्या के अंतर्गत की जावेगी।

26

- 10 आपात स्थिति/आकस्मिकता/प्राकृतिक संकट के दौरान यथा छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 तथा छ.ग. नगर पालिका प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998, तथा समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 11 उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके लागू होने की तिथि से, निर्धारित संख्या से अधिक प्लेसमेंट कर्मचारी निकाय में रखे जाने पर, होने वाले अतिरिक्त व्यय की संस्था के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, लेखाधिकारी/लेखा प्रभारी तथा संबंधित अधिकारी से समानुपातिक कटौती की जावेगी।


आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एच.आर. दुबे) 28/3

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्रमांक /2589/2319/2018/18
प्रतिलिपि :-


नया रायपुर दिनांक : 28 /03/2018

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी., नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. नया रायपुर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग.।
5. कलेक्टर, जिला रायपुर।
6. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर।
7. महापौर/आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर।
8. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाईल हेतु।


28/3

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग